FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0049 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/02/2026 21:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 16/02/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:25 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/02/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/02/2026 21:35:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 07 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** DR.CHAWALA PET HOSPITAL, JAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DR.SUNIL CHAWALA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LET. SURAJMAL CHAWALA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	182, ISCON ROAD, VIJAYPATH KE SAMANE, GIRIRAJ NAGAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	182, ISCON ROAD, VIJAYPATH KE SAMANE, GIRIRAJ NAGAR, MANSAROVAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JITENDRA SINGH		पिता:LET.MAHENDRA SINGH	1. 91,SUNDRA NAGAR,JAYSINGHPURA KHOR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
2	DR.YOGESH SHARMA		पिता:CHANDRABHAN SHARMA	1. 137,SANTOSH NAGAR,AJMER ROAD,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
3	DR.RAKESH KALORIYA		पिता:ONKARMAL	1. 6/371,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR,VIDYADHARNAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),

				RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 20.01.2026 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र के पास एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम डॉ. सुनील चावला पुत्र स्व. श्री सूरजमल चावला जाति खटीक, निवासी 182, गिरीराज नगर, इस्कॉन रोड, विजयपथ के सामने, मानसरोवर जयपुर होना बताते हुए अपने पास से एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित है पेश किया। जिसमें अंकित किया कि मैंने मेरे घर पर ही Humane Welfare Society नाम से NGO खोल रखा है, उक्त NGO के द्वारा जयपुर शहर में आवारा कुत्तों की नसबन्दी एवं टीकाकरण सम्बन्धी कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 में नगर निगम ग्रेटर एवं नगर निगम हैरिटेज द्वारा जयपुर शहर में आवारा कुत्तों की नसबन्दी एवं टीकाकरण के लिए निविदाऐं आमंत्रित की थी, उक्त निविदाओं में मेरी संस्था द्वारा टेण्डर डालने पर मेरी संस्था को उक्त कार्यो हेतु कार्यादेश मिले थे। मेरे द्वारा नगर निगम हैरिटेज के टेण्डर का कार्य पूर्ण किया जाकर बिल बनाकर नगर निगम हैरिटेज के कार्यालय में पेश करने के उपरान्त भी टेण्डर की शर्तो के अनुसार कुत्तों से निकाले गये UTERUS एवं TESTICLES की गणना नगर निगम हैरिटेज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा नहीं कर रहा है तथा गणना करने व बिल फॉरवर्ड करने की ऐवज में सभी बकाया बिलों के 12 लाख रूपये रिश्वत के मांग रहा है। इसी प्रकार नगर निगम ग्रेटर में मेरे द्वारा कुत्तों की नसबन्दी एवं टीकाकरण के किए गये कार्यो के माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 के बिल बनाकर नगर निगम ग्रेटर में पेश करने के उपरान्त भी कुत्तों के निकाले गए UTERUS एवं TESTICLES की गणना पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश कालोरिया नहीं कर रहा है। जिसकी ऐवज में पूर्व के बिलों को फॉवरर्ड करने के लिए 2 लाख रूपये प्रति माह तथा 01 जनवरी 2026 से 3.50 लाख रूपये प्रति माह के हिसाब से रिश्वत मांग रहा है। उक्त दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालय के जीतू नाम के कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करेगें, जो इनसे मिला हुआ है। मैं नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं नगर निगम ग्रेटर के दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा व डॉ. राकेश कालोरिया एवं नगर निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटर जीतू को रिश्वत नहीं देकर उन्हे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उक्त तीनों से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी डॉ. सुनील चावला से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने पेश किये लिखित प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुये और बताया कि डॉ. राकेश कलोरिया कम्प्यूटर परेटर जीतू के माध्यम से माह दिसम्बर 2025 के अन्तिम दिनों से अब तक 3-4 नोटिस भी रिश्वत राशि प्राप्त करने का दबाव बनाने के लिए दे चुका है और बिलों को फॉरवर्ड करने की ऐवज में रिश्वती राशि और अपने मन माफिक बिल तैयार कर पेश नहीं किये जाने पर मेरी फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे रहा है। जीतू द्वारा भेजे गये डॉ. राकेश कलोरिया द्वारा जारी किये गये नोटिसों की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहा हूं। परिवादी डॉ. सुनिल चावला के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन एवं मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने एवं उद्यापन का पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने परआलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकाल कर परिवादी डॉ. सुनील चावला को डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू व बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाई जाकर श्री मनु शर्मा कानि. 111 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके

बाद परिवादी डॉ. सुनील चावला द्वारा बिजी रहने से 2-3 दिन बाद में गोपनीय सत्यापन की कहने पर परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर वापस लेकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया व परिवादी को बाद हिदायत रवाना किया गया। उसके बाद दिनांक 23.01.2026 को परिवादी द्वारा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर आरोपीगण से रिश्वत मांगने की वार्ता होने का कहने पर मनु शर्मा को कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने पर डॉ. राकेश कलोरिया व जीतू नाम के कम्प्यूटर ऑपरेटर से परिवादी के बिलों को पास करवाकर आगे भेजने की ऐवज में दो बिलो के दो-दो लाख रूपये रिश्वत मांगने से संबंधित वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई तथा परिवादी से मोबाईल पर वार्ता करने पर डॉ. राकेश कलोरिया द्वारा कल कुत्तों के निकाले गये यूट्रस व टेस्टिकल्स की गणना करने के लिए जयसिंहपुरा खोर में बुलाना तथा वहां पर खुल कर रिश्वत मांगने के संबंध में बात होने बाबत् बताने पर दिनांक 24.01.2026 को गोपनीय सत्यापन का निर्णय लिया जाकर दिनांक 24.01.2026 को श्री मनु कानि. 111 को कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर गोपनीय सत्यापन करवाने पर डॉ. राकेश कलोरिया एवं जीतू कम्प्यूटर ऑपरेटर से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता होना पायी गई। उसके बाद दिनांक 27.01.2026 को परिवादी का फोन आने पर संदिग्ध आरोपी डॉ. योगेश शर्मा से भी उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वती राशि के संबंध में गोपनीय सत्यापन हेतु कानि0 मनु शर्मा को परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये गये जगह नगर निगम कार्यालय लालकोठी भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु करवाया जाने पर आरोपी डॉ. राकेश कलोरिया, डॉ. योगेश शर्मा व जीतू कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा परिवादी से बिलों को पास करवाकर आगे भेजने की ऐवज में 11 लाख रूपये की रिश्वत मांग की जाकर प्रथम किस्त के दो-दो लाख कुल 4 लाख रूपये लेना तय होना पाया गया। उसके बाद दिनांक 09.02.2026 को परिवादी डॉ0 सुनिल चावला कार्यालय में उपस्थित आया व पूर्व में पाबन्द शुदा गवाहान श्री हिमांशु मीना कनिष्ठ सहायक एवं श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर कार्यालय में उपस्थित आने के बाद परिवादी डॉ0 सुनील चावला को संदिग्ध आरोपीगण को तय अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी डॉ0 सुनील चावला ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 400 नोट की 4 गड्डी कुल राशि 2,00,000 रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले ''भारतीय मनोरंजन बैंक'' की डमी करेंसी की 4 गड्डीया (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) कुल 400 नोट, राशि 2 लाख रूपये (डमी करेंसी) कुल 4,00,000 रूपये पेश किये। परिवादी द्वारा पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,00,000 रूपयों का विवरण फर्द में अंकित किये जाकर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 12.25 पीएम पर मन् अति0पुलिस अधीक्षक, मय स्टाफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मयंक टांक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सी-स्कीम जयपुर रवाना हुआ तथा परिवादी डॉ0 सुनिल चावला को उसकी कार से श्री बंशीधर कानि. 24 व मनु कानि. 111 के साथ रवाना किया जाकर कृष्णा मार्ग तिराहे सी स्कीम जयपुर पहुंचा, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बाद हिदायत संदिग्ध आरोपीगण से सम्पर्क करने हेतु उसके हॉस्पिटल में रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत कर परिवादी के हॉस्पिटल के आस-पास पहुंचकर मुकीम होकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इतंजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि अभी कुछ देर पहले नगर निगम से आरोपी जीतू हॉस्पिटल में आया, जिसको मैं रूपये देने लगा तो जीतू ने कहा कि आप यही रखवा दो मैं बाद में आकर ले जाउंगा तो मैंने कहा कि आप अभी ले जाओ मैं यहां नहीं रख सकता क्योकि यहां हॉस्पिटल में नया स्टॉफ है मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता तो जीतू ने कहा था कि आप खोर में रखवा देना तो मैंने कहा कि देखते है। इसके बाद वो चला गया। संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखवाने तथा बाद में आकर ले जाने का कहने पर मन् अति0 पुलिस द्वारा आईन्दा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों व वाहनो से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। उसके बाद परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि की हल्के पीले रंग की थैली को महिला कानि0 श्रीमति संजू को सुपुर्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई। उसके बाद दिनांक 16.02.2026 को परिवादी डॉ0 सुनिल चावला द्वारा जरिये मोबाईल फोन संदिग्ध आरोपी द्वारा आज रिश्वत लेने के संबंध में बताने की कहने पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री हिमांशु मीना कनिष्ठ सहायक एवं श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर को कार्यालय में तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी डॉ0 सुनिल चावला कार्यालय में उपस्थित आने के बाद समय करीब 1.40 पीएम पर परिवादी की संदिग्ध आरोपी से मोबाईल पर वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी के हॉस्पिटल पहुंचने पर फोन करने व उसके द्वारा आकर रिश्वती राशि लेने के संबंध में वार्ता हुई। उसके बाद परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई जाकर श्रीमति संजू महिला कानि. 220 से कार्यालय की आलमारी सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि की थैली को निकलवाकर परिवादी को दिलवाई जाकर मन् अति.पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र मय श्री रामजीलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री राजकुमार हैड कानि. 79, श्री आशीष कानि. 208 एवं श्रीमति राजबाला महिला कानि0 495,

मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मयंक टांक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सी-स्कीम जयपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी डॉ0 सुनिल चावला को उसकी कार से श्री बंशीधर कानि0 24 व मनु कानि. 111 के साथ मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। रवाना शुदा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के कृष्णा मार्ग तिराहे के पास पहुंचा तथा परिवादी डॉ0 सुनिल चावला श्री मनु कानि.111 व श्री बंशीधर कानि. 24 के साथ उसकी कार से पहुंचे। उसके बाद परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर वार्ता रिकॉर्ड करने की हिदायत देकर उसके हॉस्पिटल में रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत कर परिवादी के हॉस्पिटल के आस-पास पहुंचकर मुकीम हुये तथा परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। परिवादी के हॉस्पिटल के सामने दो व्यक्ति मोटर साईकिल से आकर रूके एवं मोटर साईकिल बाहर ही खडी कर दोनों व्यक्ति परिवादी के हॉस्पिटल के अन्दर प्रवेश किया। इसके पश्चात् समय करीब 4.25 पीएम पर परिवादी डॉ. सुनील चावला ने अपने मोबाईल फोन से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर रिश्वत लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारा जरिये फोन उसकी चावला पेट हॉस्पिटल के परिसर से किया। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के परिवादी के चावला पेट हॉस्पिटल, जे-51, कृष्णा मार्ग, स्कीम जयपुर के गेट पर परिवादी डॉ. सुनिल चावला के पास पहुंचकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी जितेन्द्र सिंह मेरे कार्यालय कक्ष में नगर निगम कार्यालय के बाबू श्री प्रवीण माथुर को साथ लेकर आया है व मेरे कार्यालय कक्ष में आकर मुझसे रिश्वत के रूपये मांगने पर मैंने हल्के पीले रंग की कपडे की थैली जिस पर SINCE ओसवाल 1956 लिखा हुआ है में अखबार में लपेट कर रखी हुई रिश्वत राशि जितेन्द्र सिंह को देने लगा तो उसने अपने साथ लाये बैग की चैन खोलकर रखने के लिए कहा तो मैंने कहा हाथ में ही ले लो तो उसने रिश्वती राशि की थैली को अपने दोनों हाथों से लेकर बैग में रख ली है और मैंने आपको फोन कर दिया, वे दोनों ही मेरे कार्यालय कक्ष में बैठे है। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षकमय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के साथ परिवादी के हॉस्पिटल में बांई तरफ बने कार्यालय कक्ष मे अन्दर प्रवेश किया जहां पर दो व्यक्ति विजीटर चेयर पर बैठे हुए मिले। जिनमें से एक व्यक्ति की तरफ परिवादी डॉ. चावला ने ईशारा कर बताया कि यह श्री जितेन्द्र सिंह नगर निगम में कम्प्यूटर ऑपरेटर है जिसने चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कालोरिया से मेरी संस्था के टेण्डरों के अनुसार किये गये कार्यो की गणना कर बिल फोरवर्ड करवाने की ऐवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौराने दोनों डॉक्टरों से रिश्वत लेन-देन की वार्ता करवाई थी तथा दोनों डॉक्टरों के कहने पर आज ये रिश्वत के रूपये प्राप्त करने आया व मुझसे पूर्व में तय शुदा रिश्वत राशि में से 4 लाख रूपये लेने आने पर मैंने इनके मांगने पर उक्त कपडे की थैली में रखी रिश्वती राशि इसे दी थी। इस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने दोनों व्यक्तियों को अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0श्री महेन्द्र सिंह उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत निवासी प्लॉट नं. 91, सुन्दर नगर, जयसिंहपुरा खोर जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी), पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम, लालकोठी, जयपुर तथा दूसरे ने अपना नाम प्रवीण माथुर पुत्र स्व0श्री रामजीवण माथुर उम्र 47 वर्ष जाति कायस्थ निवासी प्लॉट नं. 23बी, मेहता सर्किल, राधागोविन्द ज्यूस सेन्टर की गली, नो दुकान कालवाड रोड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर होना बताया। इसके पश्चात् समय करीब 4.37 पीएम पर आरोपी जितेन्द्र सिंह की आरोपी डॉ. योगेश शर्मा से वार्ता कराई तथा समय करीब 4.39 पीएम पर आरोपी जितेन्द्र सिंह की आरोपी डॉ. राकेश कलोरिया से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में वार्ता कराई गई। तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) से परिवादी डॉ0 सुनिल चावला से किस बात के पैसे लेने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैं नगर निगम जयपुर की पशु प्रबन्धन शाखा में कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) के पद पर कार्यरत हूं। कुछ दिन पहले डॉ. सुनिल चावला के पेण्डिग बिलो को पास करने के संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कालोरिया ने मुझे कहा कि डॉ. सुनिल चावला से उसके कार्यो के बिल पास करवाने के संबंध में बात करो। जिस पर मैंने उनसे कहा कि सर आप लोग ही बात करलो तो मुझे धमकाकर कहा कि आप डॉ. सुनिल चावला से हमारी मिटिंग कराओं। जिस पर मैंने डॉ. सुनिल चावला को फोन कर बुलाकर दोनों डॉक्टरों से अलग-अलग तारीखों को मिटिंग करवाई तो दोनों डॉक्टरो ने डॉ. सुनिल चावला से रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि करीब 15 लाख रूपये तय की थी और मुझे धमकाकर कहा कि आपको डॉ. सुनिल चावला जी पैसे देगें उनको 10-15 दिन साईड में करके आप हमें दे देना। आज मैं डॉ. सुनिल चावला से हुई मोबाईल वार्ता के अनुसार दोनो डॉक्टरो द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 4 लाख रूपये लेकर उन्हें देने के लिए मैं अपने साथ प्रवीण माथुर बाबूजी को साथ लेकर डॉ. सुनिल चावला के हॉस्पिटल में आया व डॉ. सुनिल चावला से रिश्वती राशि के 4 लाख रूपये जो कपडे की थैली में अखबार में लिपटे हुए थे, लेकर अपने पिट्ठू बैग में रख लिए और आप लोग आ गये। इस पर मौजूद परिवादी डॉ. सुनिल चावला से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि जितेन्द्र सही कह रहा है। इसने ही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कालोरिया से मेरे द्वारा नगर निगम में किये गये श्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण तथा यूट्रस व टेस्टिकल की गणना कर बिल पास करने ऐवज में डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कालोरिया द्वारा अलग-अलग रिश्वत की कुल 15 लाख रूपये की मांग करना तथा मेरे दो बिल फोर्वड कर आगे भेजने की

ऐवज में 2-2 लाख रूपये प्रति माह के हिसाब से कुल 4 लाख रूपये श्री जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से लेने की तय होने पर आज श्री जितेन्द्र सिंह ने मुझसे मोबाईल पर वार्ता कर मेरे हॉस्पिटल में आकर तय शुदा रिश्वती राशि 4 लाख रूपये मांगने पर मैं इन्हें देने लगा तो इन्होनें अपने साथ लाये पिट्ठू बैग की चैन खोलकर रखने के लिए कहा तो मैने कहा कि हाथ में ही ले लो तो इसने अपने दोनों हाथों से लेकर अपने पिट्ठू बैग में रख लिए और मैंने आपको मोबाईल फोन कर रिश्वत देने का ईशारा कर दिया। इस पर पुनः श्री जितेन्द्र सिंह से पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व चुप ही रहा। इसके पश्चात् गवाह श्री हिमांशु से श्री जितेन्द्र सिंह के पिट्ठू बैग चैक करवाया गया तो बैग में एक अखबार में लिपटी हुई हल्के पीले रंग की कपडे की थैली जिस पर SINCE ओसवाल 1956 लिखा हुआ है मिली। जिसे बैग से निकलवाकर दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो दोनों गवाहान ने फर्द पेशकशी से मिलान कर वे ही 500-500 रूपये के 400 नोट की 4 गड्डी कुल राशि 2,00,000 हुबहु होना बताई। उक्त रिश्वती राशि 2,00,000 रूपये के नोटो को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये तथा 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" की डमी करेंसी की 4 गड्डीया (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) कुल 400 नोट, राशि 2 लाख रूपये (डमी करेंसी) को एक खाकी लिफाफे रखकर कब्जा एसीबी लिए गये।तत्पश्चात परिवादी डॉ. सुनिल चावला एवं उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें हॉस्पिटल से स्वच्छ पानी की बोतल मगवाकर दोनों प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी जितेन्द्र सिंह के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का हल्का रंग गुलाबी हो गयाजिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के मिश्रण मे आरोपी जितेन्द्र सिंह के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पानी की बोतल से पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के मिश्रण में आरोपी जितेन्द्र सिंह के पिट्ठू बैंक जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई थी के उस हिस्से को एक सफेद कपडे की चिन्दी से रगडकर पौछकर उक्त मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क B-1 व B-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त चिन्दी को सुखवाकर चिन्दी पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक कपड़े की थैली में सील कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " C"अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई तथा पिट्ठू बैग को एक कपड़े की थैली में सील कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B"अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा नोटो को जिस अखबार में लपेट कर हल्के पीले रंग की कपडे की थैली जिस पर SINCE ओसवाल 1956 लिखा हुआ है में रखी थी। उक्त अखबार एवं कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई। घटनास्थल पर श्री मनु शर्मा कानि0 111 से विभागीय विडियो कैमरे से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। उक्त कार्यवाही स्थल पर अग्रिम सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु माकूल व्यवस्था नहीं होने तथा सरकारी कार्यालयों का बन्द होने का समय होने के कारण मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं श्री जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) व श्री प्रवीण कुमार कनिष्ठ सहायक तथा जप्त शुदा रिश्वती राशि, आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप मय सरकारी वाहन/चालक के समय करीब 5.55 पीएम पर मौके से रवाना होकर समय करीब 6.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय आया। निर्देशित शुदा श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर- द्वितीय, जयपुर नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ0 योगेश शर्मा एवं डॉ0 राकेश कालोरिया पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम जयपुर को डिटेन कर लेकर आये है। जिनको मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका पूर्ण परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम डॉ0 योगेश शर्मा पुत्र श्री चन्द्रभान शर्मा जाति शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी गांव धायना, तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली जिला भरतपुर हाल निवासी मकान नं. 137, सन्तोष नगर अजमेर रोड जयपुर हाल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय, नगर निगम जयपुर होना बताया तथा दूसरे ने अपना नाम डॉ0 राकेश कलोरिया पुत्र श्री औंकारमल जाति बलाई उम्र 38 साल निवासी गांव सलोदीपुरा तहसील खण्डेला पुलिस थाना खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी मं.नं.

6/371, विद्याद्यर नगर जयपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम, नगर निगम जयपुर होना बताया। उसके पश्चात् आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा से परिवादी डॉ0 सुनिल चावला से किस बात के रूपये श्री जितेन्द्र सिंह को दिलवाये हैं के बारे में पूछने पर आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा ने बताया कि मैं नगर निगम हेरिटेज जयपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित हॅू। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर को एक ही कर दिया है। डॉ0 सुनिल चावला की फर्म ने नगर निगम हेरिटेज में श्वानो की नसबन्दी का टेण्डर ले रखा था जो माह अगस्त 2025 को समाप्त हो चुका था। डॉ0 चावला द्वारा किये गये श्वानो की नसबन्दी से संबंधित एक बिल मेरे द्वारा यूट्रस की गणना कर फोरवर्ड किया जा चुका है तथा दूसरे बिलो में कुछ खामियां एवं रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराने के कारण पेण्डिग पडे हुए है। जिनके बारे में डॉ0 चावला मुझसे कुछ दिन पूर्व मिला था तो मैने उनसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा था। डॉ0 चावला ने मुझे प्रलोभन देने की भी कोशिश की थी परन्तु मैने कहा था कि जब तक रिकॉर्ड उपलब्ध नही कराओगे तब तक बिल फोरवर्ड नही होगे। मैने डॉ0 चावला से किसी भी प्रकार की रिश्वत नही मांगी और ना ही जितेन्द्र सिंह को रिश्वत देने के लिए कहा। इसके पश्चात् आरोपी डॉ0 राकेश कलोरिया से पूछा गया कि आपने डॉ0 सुनिल चावला से किस बात के रूपये श्री जितेन्द्र सिंह को दिलवाये है। जिस पर आरोपी डॉ0 राकेश कलोरिया ने बताया कि मैं नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित हॅू। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर को एक ही कर दिया है। डॉ0 सुनिल चावला की फर्म ने नगर निगम ग्रेटर में श्वानो की नसबन्दी का टेण्डर ले रखा है। डॉ0 योगेश शर्मा को चेम्बर अलॉट नही होने तथा डॉ0 सुनिल चावला एवं डॉ0 योगेश शर्मा के बीच आपस में कहा सुनी होने के बाद इनका समझौता कराने हेतु मेरे कार्यालय चैम्बर में इनका समझौता कराने के दौराने डॉ0 योगेश शर्मा के पास एवं मेरे पास डॉ0 सुनिल चावला के कार्यो के बिलो को फारवर्ड कर पास कराने के संबंध वार्ता हुई थी। डॉ0 सुनिल चावला को हमारे पास जितेन्द्र सिंह जो पशु प्रबन्धन शाखा में कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) है अपने साथ लेकर आया था। हमारे मध्य हुई वार्ता में डॉ0 सुनिल चावला के कार्यो के बिलो के संबंध वार्ता हुई थी। वार्ता में डॉ0 सुनिल चावला द्वारा उसके कार्यो के बिलो को फोरवर्ड कर पास कराने के लिए हमे प्रलोभन भी दिया था। डॉ0 चावला द्वारा दिये गये प्रलोभन में हम आ गये और हमने जितेन्द्र सिंह को कहा कि डॉ0 चावला कुछ सेवा पानी करेगे आप ले लेना। आज मेरे पास समय करीब 4.40 पीएम पर जितेन्द्र सिंह का वाट्सअप कॉल आया था और जितेन्द्र ने मुझे बताया कि साहब सामान कहा रखना है। मैं उस समय ज्यादा विजी था और मैने फोन काट दिया। इसके कुछ समय बाद मैने जितेन्द्र को फोन कर पूछा भी था कि तू कहां है तो उसने कहा कि मैं बाहर हॅू तो मैने कहा कि तू ऑफिस में क्यो नहीं है। आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के कथनों का खण्डन करते हुए आरोपी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि डॉ. सुनिल चावला एवं नगर निगम में पदस्थापित पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के आपस में डॉ. सुनिल चावला के कार्यो की गणना करने व बिलो को फोरवर्ड करने के संबंध में कहा सुनी हुई थी। इसके पश्चात् डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के कहने पर मैं डॉ. सुनिल चावला को डॉ. राकेश कलोरिया के चेम्बर में लेकर गया था तो वहां डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया बैठे थे। इन तीनों के बीच डॉ. सुनिल चावला के कार्यो के संबंध में वार्ता हुई थी। मुझे डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया ने कहा था कि डॉ. सुनिल चावला आपको रूपये देगे आप रूपये ले लेना। इनके कहने पर ही मैं डॉ. सुनिल चावला को फोन कर उसके हॉस्पिटल में गया और डॉ. सुनिल चावला ने मुझे एक पीले रंग की थैली में रखे हुए रूपये देने लगा तो मैने मेरे पिट्ठू बैंक की चैन खोल कर उसमें रखने के लिए कहा तो डॉ. सुनिल चावला ने मुझे कहा कि हाथ में ही ले लो तो मैने अपने हाथो में लेकर मेरे पिट्ठू बैग में रख लिए और आप लोग आ गये। मैंने डॉ. सुनिल चावला से ये रूपये डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया के कहने पर ही लिए है। मैं ये रूपये दोनो डॉक्टरों को ले जाकर देता उससे पहले ही आपने मुझे पकड लिया। इस पर मौजूद परिवादी डॉ. सुनिल चावला ने आरोपीगण के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया झूठ बोल रहे है। नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर में मेरी फर्म द्वारा किये गये श्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण के कार्यो की गणना कर बिलो को भुगतान हेतु फोरवर्ड करने की ऐवज में मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौराने रिश्वत की मांग करते हुए डॉ. योगेश शर्मा ने 11 लाख रूपये एवं डॉ. राकेश कलोरिया ने 4 लाख मांगे और दोनो ने मेरे कार्यो के 1-1 बिल फोरवर्ड करने की एवज में 2-2 लाख रूपये मांगे तथा कुल 4 लाख रूपये जितेन्द्र सिंह को देने के लिए कहा था। बाकि के रूपये बिल कैश शाखा में पहुचने के बाद लेना तय किया था। रिश्वत की मांग के अनुसार दिनांक 09.02.2026 को मेरे व जितेन्द्र सिंह के बीच मोबाईल वार्ता हुई, वार्ता के अनुसार जितेन्द्र सिंह मेरे सी स्कीम स्थित पेट हॉस्पिटल में आपकी टीम के सामने आया था और जितेन्द्र सिंह को मैं रूपये देने लगा तो जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आप यही रखवा दो मैं बाद में आकर ले जाउंगा तो मैने कहा कि आप अभी ले जाओ मैं यहा नही रख सकता क्योकि यहां हॉस्पिटल में नया स्टॉफ है मै उन पर विश्वास नहीं कर सकता तो जितेन्द्र सिंह ने कहा था कि आप खोर में रखवा देना तो मैंने कहा कि देखते है। इसके बाद आज मेरे व जितेन्द्र सिंह के बीच मोबाईल पर वार्ता हुई तो जितेन्द्र सिंह ने कहा की आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ तब मुझे फोन कर देना मैं हॉस्पिटल आकर ले जाउंगा। मैंने आपकी टीम के साथ मेरे पेट हॉस्पिटल पहुंचकर आपके सामने जितेन्द्र सिंह को मोबाईल पर आने के लिए कहा था जो मैने आपके द्वारा दी गई डिवाईस में रिकार्ड की है। जितेन्द्र सिंह व प्रवीण माथुर मेरे हॉस्पिटल में आये व जितेन्द्र सिंह को मैं रूपये देने लगा तो जितेन्द्र ने अपने साथ लाये पिट्ठू बैग की चैन खोलकर रखने के लिए कहा तो मैने कहा कि हाथ में ही ले लो तो उसने अपने

हाथो में लेकर पैसे बैग में रख लिए। मैने आपके यहा शिकायत देने के बाद दौराने मांग सत्यापन कार्यवाही जितेन्द्र सिंह के मांगने पर उसे पहले भी 500 रूपये नकद एवं 1500 रूपये यूपीआई के द्वारा भी दिये है। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी डॉ. सुनिल चावला के हॉस्पिटल में आरोपी जितेन्द्र सिंह के साथ आये श्री प्रवीण माथुर कनिष्ठ सहायक, पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर से परिवादी व आरोपी जितेन्द्र सिंह के सामने पूछा गया कि आप जितेन्द्र सिंह के साथ क्यों आये तो श्री प्रवीण माथुर ने बताया कि मैं नगर निगम की पशु प्रबन्धन शाखा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हॅू तथा कार्यालय में कम्प्यूटर का सर्वर नही चलने की वजह से चाय पीने जा रहा था तभी श्री जितेन्द्र सिंह जो हमारी ही शाखा में कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) है ने पूछा कि कहां जा रहे हो तो मैने कहा कि सर्वर डाउन है इसलिए बाहर चाय पीने जा रहा हॅू, तो जितेन्द्र सिंह ने मुझे कहा कि चलो मैं चाय पिलाकर लाता हॅू। मैंने जितेन्द्र सिंह से पूछा कहां जा रहे हो तो जितेन्द्र सिंह ने कहा अभी आते है 10-15 मिनट में आपको चाय पिलाकर लाता हॅू। मैं जितेन्द्र सिंह के साथ उसकी मोटर साईकिल पर बैठ गया तो जितेन्द्र सिंह डॉ. सुनिल चावला के हॉस्पिटल में ले आया। डॉ. सुनिल चावला एक पीले रंग की थैली में कुछ रखा हुआ था, देने लगा तो जितेन्द्र सिंह अपने साथ लाये हुए पिट्ठू बैग की चैन खोलकर डॉ0 चावला से बैग में रखने के लिए कहा तो डॉ0 सुनिल चावला ने कहा कि हाथ में ही ले लो तो जितेन्द्र सिंह से उक्त थैली अपने हाथो में लेकर अपने साथ लाये हुए पिट्ठू बैग में रख ली थी। इसके कुछ देर पश्चात् आप लोग आ गये। मुझे इसकी कोई जानकारी नही थी कि जितेन्द्र सिंह डॉ0 सुनिल चावला से रिश्वत लेने आया है। इस संबंध में मौजूद परिवादी व आरोपी जितेन्द्र सिंह से पूछा गया तो दोनों ने ही श्री प्रवीण माथुर का रिश्वत के लेन-देन से कोई लेना-देना नहीं होना बताने पर श्री प्रवीण माथुर को बाद मुनासिब हिदायत रूखसत किया गया। इसके पश्चात् परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उसके पश्चात जितेन्द्र सिंहको रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वती लेन-देन वार्ता परिवादी व आरोपी जितेन्द्र सिंह के मध्य हुई के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् नोटिस दिये जाने पर आरोपी जितेन्द्र सिंहने अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार किया। जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की गई। उसके पश्चात डॉ0 योगेश शर्माको रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी व आरोपी डॉ. योगेश शर्मा के मध्य हुई वार्ता तथा वक्त रिश्वत लेन-देन उसके व आरोपी जितेन्द्र सिंह के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी डॉ0 योगेश शर्माने अपनी नमूना आवाज का देने से स्पष्ट इंकार किया जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की गई । उसके पश्चात डॉ0 राकेश कलोरिया को रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी व आरोपी डॉ0 राकेश कलोरिया के मध्य हुई वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन उसके व आरोपी जितेन्द्र सिंह के मध्य हुई हुई वार्ता के संबंध में अपनी आवाज का नमूना देने नोटिस दिया गया तो आरोपी डॉ0 राकेश कलोरिया ने अपनी नमूना आवाज का देने से स्पष्ट इंकार किया जिसकी फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार की गई। तत्पश्चात आरोपी जितेन्द्र व आरोपी श्री डॉ0 योगेश शर्मा एवं डॉ0 राकेश कलोरिया से पूछताछ की जाकर पृथक-पृथक पूछताछ नोट तैयार किया गया। उसके बाद आरोपी जितेन्द्र सिंह हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर के विरूद् अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर तथा आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा व डॉ0 राकेश कलोरिया के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 308(2) बीएनएस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर तीनों आरोपीगणों को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तीनों आरोपीगणों की मोबाईल फोनों की फर्द विश्लेषण मोबाईल फोन तैयार की गई तथा आरोपीगण की आपस में वाट्सउप कॉल व चैट पाई गई जिनका प्रिन्टआउट निकाल कर शामिल फर्द किया गया इसके पश्चात् दिनांक 17.02.2026 को पाबन्द शुदा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आने के बाद परिवादी डॉ. सुनिल चावला की आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हाल कम्पयूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम, जयपुर, आरोपी डॉ. राकेश कलोरिया हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम, नगर निगम जयपुर तथा आरोपी डॉ. योगेश शर्मा हाल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय, नगर निगम, जयपुर के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन के समय आमने-सामने हुई वार्ता तथा वाट्सएप कॉल के जरिये हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में दिनांक 23.01.2026, 24.01.2026, 27.01.2026, 09.02.2026 को रिकॉर्ड की गई थी तथा परिवादी डॉ. सुनिल चावला की आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम, जयपुर के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई रुबरु वार्ता तथा बाद रिश्वत लेनदेन के आरोपी डॉ. राकेश कलोरिया हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम, नगर निगम जयपुर तथा आरोपी डॉ. योगेश शर्मा हाल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय, नगर निगम, जयपुर से वाट्एप कॉल के जरिये आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह से हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में दिनांक 16.02.2026 को रिकॉर्ड की गई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की गई तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर रिष्वत लेन-देन के पश्चात् रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी विभागीय डिजिटल विडियो रिकॉर्डर/कैमरा मय एसडी कार्ड में करवायी गयी थी। रिकॉर्ड वार्ताओं व विडियो क्लिप की पृथक-पृथक डीविडियां नियमानुसार तैयार की गई तथा हैश वैल्यू निकाली गई। तथा रिश्वत मांग सत्यापन तथा रिश्वत लेन-देन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये मूल एसडीकार्ड

DAICHI32GB को तथा विडियो रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल सोर्स एसडी कार्ड DAICHI32GB दोनों को पृथक-पृथक प्लास्टिक कवर में रखकर अलग-अलग माचिस की डिब्बी में डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्डमोहर कर क्रमशः मार्क SD व मार्क SD-1 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही पर काम में ली गई नमूना सील की फर्द पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से परिवादी डॉ. सुनील चावला को जयपुर शहर में आवारा कुत्तों के नसबंदी एवं टीकाकरण के लिए आमंत्रित निविदाओं में टेण्डर मिलने पर, परिवादी द्वारा किये गये टेण्डर कार्यो, कुत्तों से निकाले गये UTERUS एवं TESTICLES की गणना करने और इनके बिलों को फॉरवर्ड कर पास कराने की ऐवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 23.01.2026, 24.01.2026, 27.01.2026 को परिवादी से आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी व डॉ0 राकेश कलोरिया वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर और रिश्वती राशि प्राप्त करने के लिए उद्यापित कर भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से 15,00,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर प्रथम किस्त 4,00,000 रूपये डॉ0 योगेश शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी व डॉ0 राकेश कलोरिया वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारी आरोपी जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) के साथ माध्यम से रिश्वत प्राप्त करना तय कर दिनांक 16.02.2026 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर द्वारा परिवादी डॉ0 सुनील चावला से डॉ0 योगेश शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय नगर निगम जयपुरव डॉ0 राकेश कलोरिया वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम नगर निगम जयपुर के लिए परिवादी से प्रथम किस्त 4,00,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस तथा आरोपी डॉ0 योगेश शर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी व डॉ0 राकेश कलोरिया वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारी श्री जितेन्द्र सिंह कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादी से प्रथम किस्त 4,00,000 रुपये श्री जितेन्द्र सिंह को दिलवाने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2), 308(2) बीएनएसमें कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1-श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, उम्र 29 वर्ष, निवासी मूल निवासी गांव पीथलपुर, तहसील व पुलिस थाना अजीतगढ जिला सीकर हाल निवासी प्लॉट नं. 91, सुन्दर नगर, जयसिंहपुरा खोर जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर 2- डॉ. योगेश शर्मा पुत्र श्री चन्द्रभान शर्मा, जाति शर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव धायना, तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली जिला भरतपुर हाल निवासी मकान नम्बर 137 सन्तोष नगर अजमेर रोड जयपुर हाल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय नगर निगम जयपुर 3- डॉ0 राकेश कलोरिया पुत्र श्री औंकारमल, जाति बलाई उम्र 38 साल, निवासी गांव सलोदीपुरा, तहसील खण्डेला, पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर हाल निवासी म.न. 6/371 विद्याधर नगर जयपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम नगर निगम जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय, (भूपेन्द्र) अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2), 308(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री जितेन्द्र सिंह पुत्. श्री महेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, उम्र 29 वर्ष, निवासी मूल निवासी गांव पीथलपुर, तहसील व पुलिस थाना अजीतगढ जिला सीकर हाल निवासी प्लॉट नं. 91, सुन्दर नगर, जयसिंहपुरा खोर जयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेका कर्मी) पशु प्रबन्धन शाखा, नगर निगम जयपुर 2- डॉ. योगेश शर्मा पुत्र श्री चन्द्रभान शर्मा, जाति शर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी गांव धायना, तहसील रूपवास पुलिस थाना गहनोली जिला भरतपुर हाल निवासी मकान नम्बर 137 सन्तोष नगर अजमेर रोड जयपुर हाल पशु चिकित्सा अधिकारी द्वितीय नगर निगम जयपुर 3- डॉ0 राकेश कलोरिया पुत्र श्री औंकारमल, जाति बलाई उम्र 38 साल, निवासी गांव सलोदीपुरा, तहसील खण्डेला, पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर हाल निवासी म.न. 6/371 विद्याधर नगर जयपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम नगर निगम जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटेलाल मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 318 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 374-77 दिनांक 18.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर 2-निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/02/2026 21:40:10

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				
2	Male	1990				
3	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)